



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215802
CG-DL-E-30012020-215802

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]
No. 425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020

का.आ. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश द्वारा गठित या स्थापित उन संगठनों (जो कोई राजनैतिक दल नहीं हों) और पूर्ण रूप से संबंधित सरकार के स्वामित्व में हों तथा जिनके लिए अपने लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) या सीएजी की किसी अभिकरण से करवाना अनिवार्य है, को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के लागू होने से छूट प्रदान किया जाना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित आदेश का.आ.संख्यांक 1492(अ) तारीख 1 जुलाई, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राजपत्र में इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से उक्त संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के सभी उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. II/21022/23(37)/2019-एफसीआरए-III]

अनिल मलिक, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 30th January, 2020

S.O. 459(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the interest of the general public to exempt organisations (not being a political party), constituted or established by or under a Central Act or a State Act or by any administrative or executive order of the Central Government or any State Government and wholly owned by the respective Government and required to have their accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) or any of the agencies of the CAG, from the operation of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Official Gazette *vide* number S.O. 1492(E), dated the 1st July, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts all the said organisations from the operation of all the provisions of the said Act with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. II/21022/23(37)/2019-FCRA-III]

ANIL MALIK, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933

No. 1244]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

New Delhi, the 1st July, 2011

का.आ.1492(अ).—यह कि, केन्द्र सरकार का यह विचार है कि किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत गठित अथवा स्थापित उन सभी निकायों, जिनके लिए अपने लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से करवाना अनिवार्य है, को ऐसा करने से छूट प्रदान करना जनहित में आवश्यक और सम्योचित है।

S.O. 1492(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the interests of the general public to exempt all bodies constituted or established by or under a Central Act or a State Act requiring to have their accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India.

अतः, इसलिए, केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 की संख्या 42) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सभी सन्दर्भित सांविधिक निकायों को, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 की संख्या 42) के सभी प्रावधानों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby exempts all the said statutory bodies from the operation of all the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[फा. सं. II/21022/9(1)/2008-एफ.सी.आर.ए.-III]

[F. No. II/21022/9(1)/2008-FCRA-III]

जी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.